

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

विषय:- एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत गुरुडाबाज से अब्बेडकर ग्राम मल्ली गैराड-घुरकुना मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आप्पण, जिसकी लागत ₹ 8.69 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 8.69 लाख (₹ आठ लाख उन्नस्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-१७६४ / ।।।(2) / १०-१७(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मर्दों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रॉल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों मे एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मर्दों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-३० के अन्तर्गत संगत योजना में प्राविधानित बजट से निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

SSO/11/16  
मुख्य अधिकारी  
देहरादून

CAO  
N/2016  
(SSO-D)

देहरादून: दिनांक: २५ अक्टूबर, 2016

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण संड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण संड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-30 लेखाशीर्षक-5054 संडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य संडकों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-05 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 560/XXVII/(2)/2015 दिन 25.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
संयुक्त सचिव  
( एस०एस० टोलिया )

संख्या:-२८१५ (1) / 11(2) / 16-53(एम०एल०ए) / 2015 टी०सी०१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, अल्मोड़ा।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

आज्ञा से,

( ए०एस० पांगती )  
उप सचिव

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक

5054 - संडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय  
 800 - अन्य व्यय  
 02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान  
 05 - नवा निर्माण कार्य

04 - जिला तथा अन्य सड़कें


Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वहत निर्माण कार्य	60000	10000	70000
	60000	10000	70000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

10000

(अरविन्द सिंह पांगती)  
 उप सचिव, लोक निर्माण विभाग  
 उत्तराखण्ड शासन।



Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
 "नियोजन-।" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>E-mail: [eicpwd@nic.in](mailto:eicpwd@nic.in)

पत्रांक- ९६४ /२० याता०'क' /२०१६

दिनांक- १७.११.२०१६

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3. अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।।
- ✓ 4. अधिशासी अभिन्यता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

17/11/2016  
 अरविन्द सिंह पांगती, लोक निर्माण विभाग  
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
 देहरादून